कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
(दूरभाष कमांक 0774.230230 ई–मेल–ed.jd.surguja@gmail.com)

::आदेश::

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023 **10428/495** छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक **04-05-2023** के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक **04-05-2023** के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक **02-07-2023** की वरीयता के आधार पर **लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023** के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के **वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400)** के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : –

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
13433409	**SAKET SHARMA** C/O **SANTOSH SHARMA**	UR	House No : 224, BADI BAZAR, RATANPUR, , 495442, District: Bilaspur Chhattisgarh, Bilaspur, , , Bilaspur, Chhattisgarh,	M.S.PENDARKHI Udaipur SURGUJA	**UR OPEN**

(संजय कुमार गुप्ता)
संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :–

1. चयनित शिक्षक **20 सितम्बर 2023** तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा –

    प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्
    द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्
    तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

    परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

13. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेगें।"

14. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023/**10429** **अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023**

प्रतिलिपि:—

1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।

2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3/ सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

4/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय ,अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।

5/ आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

6/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।

7/ कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।

8/ संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।

09/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10/ समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

12/ सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो

13/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।

14/ संबंधित श्री/सुश्री **SAKET SHARMA, C/O SANTOSH SHARMA, House No : 224, BADI BAZAR RATANPUR, , 495442, District: Bilaspur Chhattisgarh, Bilaspur, , Bilaspur, Chhattisgarh,** क सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

15/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़